राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 355 सन 2015

अनवान :–

1. धोकलराम पुत्र किशनलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा सोनडी के गत खसरा न0 200 मीन कुल 13.18 बीधा भूमि के वर्तमान खसरा न0 397 ,398 ,425 ,426 ,427 कुल 13.18 बीधा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रर्वतन के रोज से पहले ही वादी के पिता किशनाराम ने नोतोड कर काबिल काश्त बनाया था सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में वादी के पूर्वज किशनाराम कृषक की हैसियत से काबिज है विधि द्वारा सुस्थापित है जो व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के रोज जो आराजी जिसके कब्जा काश्त में थी वह धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था राजस्व कर्मचारीयों का दायित्व था की वह उसका नाम खातेदार कृषक की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करे केवल राजस्व कर्मचारीयों की गलत के कारण राजस्व रिकार्ड में खाातेदार काश्तकार दर्ज नही हुआ है एवं विवादित अराजी को कतई गलत तौर से वन विभाग के नाम से दर्ज कर दी जबकि किसी खातेदार की भूमि को वनविभाग के नाम दर्ज नही किया जा सकता है उक्त गलत अंकन के आधार पर वनविभाग समय समय पर नोटिस जारी कर रहा है एवं बेदखल करने की धमकी देकर वादी का परेशान किया जा रहा है व अनावश्यक तौर से तावान कायम किया जा रहा है वनविभाग से नामान्तकरण संख्या 623 दिनांक 01.06.1987 को खारिज भी करवा दिया गया है किन्तु फिर भ उक्त नामान्तकरण को नजर अन्दाज करते हुए वनविभाग के नाम दर्ज कर रखी है इसलिये वादी वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी खेतीहर मजदुर है जिसके पूर्वजों ने अत्याधिक मेहनत व रूप्या पैसा खर्च कर विवादित भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है जिसे यदि बेदखल किया जाता है तो वादी के हक हकुकों का हनन होगा वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई साधन अपनी आजीविका चलाने का नही है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उसे वाद भूमि से बेदखल नही किया जावे।

Jaidi S

उपनिवशन विभाग के द्वारा भी समय समय पर परिपत्र जारी किये गये है कि लम्बे समय से कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि को सम्बधित काश्तकार को नियमुनसार आवंटन/नियमन किया जावे जिसे नजरअन्दाज किया गया है।

अत वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सोनडी के गत खसरा न0 200 मीन की 13.18 बीधा भूमि खसरा न0 397 ,398 ,425 ,426 ,427 की कुल 13.18 बीधा भूमि का वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे एव प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन करने के आदेश फरमावे अथवा वादी के नाम वाद भूमि आवंटन/नियमन किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की प्रश्नगत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वनविभाग के नाम से दर्ज है वाद भूमि वादी को कभी आवंटन नही की गई ना ही वादी का वाद भूमि में किसी प्रकार का अधिकार है वादी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी था जिसे समय समय पर बेदखल किया जाता रहा है

प्रश्नगत भूमि प्रबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी पाने का अधिकारी नही है ना ही वादी को आवंटित की जा सकती है वाद वादी खारिज किया जावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर उभयपक्षों को सुना गया वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की है जिस पर वादी का कोई अधिकार नही है ना ही वादी को आवंटन की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज किशनाराम की नोतोड करदा है जो सम्वत 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त में चली आ रही जिसका वह खातेदार हो चुका है वादी ने अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि वादी या उसके पूर्वजों के द्वारा नोतोड करना साबित होता हो प्रस्तुत गिरदावारीयों के अनुसार वादी के पूर्वजों के द्वारा जोहड पायतन की भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर काश्त करना पाया है।

वादी के द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके की भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया हो मात्र वादी का कथन है कथनों के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड जोहड पायतन दर्ज रही है जिस पर वादी या वादी के पूर्वजों के द्वारा अतिक्रमी की हैसीयत से काश्त की गई हो सकती है जिसे तहसीलदार नोहर के द्वारा बेदखल किया जाकर राजकीय भूमि का कब्जा लिया गया है अतिक्रमी की हैसियत से काश्त करने पर गिरदावरीयों में काश्त दर्ज हो सकती है जिससे वाद भूमि पर वादी का कोई अधिकार साबित नही होता है प्रश्नगत भूमि का पानी समीपस्त जोहड में जाना प्रतित होता है जिसके कारण भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गौचर/जोहड पायतन दर्ज किया गया है जिसे श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.1979 के द्वारा वन विभाग को आवंटन करने पर प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज हुई है अर्थात भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सहवन से वनविभाग के नाम दर्ज नही की जाकर जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश से दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वनविभाग के नाम से दर्ज है जिसके कारण प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिसके सम्बध में वादी किसी प्रकार की धोषणा/अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. धोकलराम पुत्र किशनलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग राजस्थान सरार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ वनविभाग राजस्थान सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 350 सन 2015 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–सोनडी